राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में 27.02.2018 को आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की छठी बैठक का कार्यवृत्त।

भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ. प्रोदीप्तो घोष की अध्यक्षता में "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह " की छठी बैठक 27.02.2018 (मंगलवार) को सुबह 11:30 बजे राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

प्रारंभ में , अध्यक्ष ने सभी सदस्यों, आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने एक बार फिर नीति आयोग से सदस्य की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने समूह की कार्य योजना की स्थिति की समीक्षा की और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के रूप में नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं पर विचार करने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने समूह के सदस्य सचिव से अनुरोध किया कि वे चर्चा के लिए एक-एक करके एजेंडा मद लें।

मद 6.1 06.02.2018 को आयोजित वित्तीय पहलू पर समूह की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव ने बताया कि वित्तीय पहलुओं पर समूह की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों के बीच 26 फरवरी, 2018 के पत्र के माध्यम से वितरित किए गए थे। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए पांचवी बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित किए जाने की पुष्टि की गई थी।

मद 6.2.1 वित्तीय संसाधनों के प्रक्षेपण पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुति

इस मद को एक बार फिर अगली बैठक के लिए टाल दिया गया क्योंकि नीति आयोग के प्रतिनिधि बैठक में भाग नहीं ले सके। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि नीति आयोग की भागीदारी इस तरह की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी वित्त पोषण की सीमा को जानने के साथ-साथ निजी क्षेत्र और बाहरी वित्त पोषण पर नीतिगत निर्णयों को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। तदनुसार अध्यक्ष ने नीति आयोग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स के अध्यक्ष से डीओ पत्र के बारे में पूछताछ की। सदस्य सचिव ने बताया कि डीओ का मसौदा पत्र टास्क फोर्स के अध्यक्ष को उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। एक बार यह प्राप्त हो जाने के बाद, इसे आगे की कार्रवाई के लिए नीति आयोग को भेजा जाएगा।

मद संख्या 6.2.2 भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों से नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के लिए निधियों के संभावित प्रवाह के अनुमानों पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुति,

श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, रणनीतिक सरकारी सलाहकार, यस बैंक, नई दिल्ली (श्री राणा कपूर, एमडी और सीईओ, यस बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए) सहित यस बैंक की एक टीम ने एक संशोधित वित्तीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें वित्त का अनुमान लगाया गया है जो आईएलआर के लिए आईएफआई से उपलब्ध हो सकता है। (अनुबंध-6.2.2). येस बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पीपीपी परियोजनाओं के आईएफआई वित्तपोषण के बारे में विशेष जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि डॉ दास गुप्ता डीईए से डेटा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा यस बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मॉडल में निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया गया था:

- जीडीपी आंकड़ों को आधार वर्ष 2014-15 में संशोधित करना (स्थिर मूल्य)
- जीडीपी के लिए दो परिदृश्य जोड़ना (6% और @8%)
- विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण परिनियोजन का पूर्वानुमान: टेरी अध्ययन के आधार पर

- परिवहन क्षेत्र के लिए ऋण तैनाती का पूर्वानुमान: मैकिन्से अध्ययन के आधार पर (श्री सतीश राव द्वारा साझा किया जाएगा)
- ऋण परिनियोजन का पूर्वानुमान जो बड़ी सिंचाई और जल परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हो सकता है
- डॉ दास गुप्ता की मदद से भारतीय बॉन्ड बाजार के माध्यम से उपलब्ध वित्त के पूर्वानुमान के लिए लाइन जोड़ना

इसके अलावा, अध्यक्ष ने निष्कर्ष निकाला कि संशोधित वित्तीय मॉडल अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मद 6.2.3: श्री सतीश राव सदस्य और डॉ दीपक दासगुप्ता, विशेष आमंत्रित द्वारा प्रस्तुति।

श्री सतीश राव और डॉ दीपक दासगुप्ता ने भारत, विगत और भविष्य के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) पर चर्चा शुरू करने के लिए एक प्रस्तुति (अनुलग्नक-6.2.3) दी। प्रस्तुति द्वारा हाइलाइट किए गए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में निम्नानुसार किया गया है:

(i) ODA: 1991 ($6.42bn) से 2017 ($9.36bn) तक वार्षिक ODA वृद्धि (CAGR- - चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) नाममात्र के संदर्भ में 2.8% थी; वास्तविक रूप में, संभवतः बहुत कम।

(ii) एमडीबी (डब्ल्यूबी और एडीबी) का हिस्सा लगभग 2/3 है, जबकि द्विपक्षीय (मुख्य रूप से जापान और जर्मनी) ने शेष 1/3 हिस्सा साझा किया

(iii) एमडीबी आईडीए में तीव्र गिरावट के कारण इस दशक में एमडीबी सहायता में गिरावट आई (सीएजीआर- -215%)

(iv) 1991-2017 के दौरान , सीएजीआर डब्ल्यूबी के लिए 1.2% और एडीबी के लिए 7.0% था

(v) 2017 में, विश्व बैंक ($ 2.93 बिलियन- ओडीए का 31%) और एडीबी ($ 2.59 बिलियन- 28%) की सहायता मोटे तौर पर तुलनीय थी ।

(vi) आईडीए को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और आईबीआरडी एकल उधारकर्ता सीमा भारत द्वारा प्राप्त किए जाने के साथ भविष्य में विश्व बैंक ऋण सपाट रहने की संभावना है ।

(vii) दूसरी ओर, भविष्य में एशियाई विकास बैंक के ऋण में कुछ वृद्धि होने की संभावना है

(viii) एआईआईबी और एनडीबी भविष्य में एमडीबी ऋण में वृद्धि करेंगे

(ix) कुल मिलाकर, एमडीबी अगले 10 वर्षों में कुछ वृद्धि देख सकता है

(x) द्विपक्षीय: 1991 ($ 1.90 बिलियन) से 2017 ($ 3.20 बिलियन) तक सीएजीआर नाममात्र शर्तों में 2.1% था ; हालांकि, सीएजीआर हाल ही में 2011-2017 के दौरान 19.0% अधिक था।

(xi) आगे देखते हुए, 4 एमडीबी और द्विपक्षीय से सकल वार्षिक ओडीए अगले पांच वर्षों में $ 18 बिलियन (आशावादी) के बॉल पार्क आंकड़े तक पहुंचने के लिए वर्तमान $ 10 बिलियन के स्तर से बढ़ सकता है: एमडीबी $ 12 बिलियन (डब्ल्यूबी -4, एडीबी -4, एआईआईबी -2, एनडीबी -2) और द्विपक्षीय: 6 (जापान, जर्मनी, फ्रांस)

मद 6.3.1 और 6.3.2: समूह के काम की प्रगति की समीक्षा करना और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य कार्यक्रम तैयार करना ।

अध्यक्ष ने चर्चा के अंत में कार्यक्रम की समीक्षा की और अधिक लगातार बैठकों की आवश्यकता व्यक्त की ताकि मई, 2018 के भीतर काम पूरा किया जा सके। चर्चा के बाद, अगली बैठक के लिए निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर सहमति हुई:

(i) नीति आयोग द्वारा प्रस्तुति

(ii) यस बैंक द्वारा प्रस्तुति

चर्चा के दौरान पीपीपी मॉडल, एमडीबी की उचित परिश्रम आवश्यकताओं , आईएलआर सेवाओं के लिए टैरिफ सेटिंग के सिद्धांतों आदि जैसे अन्य विषयों पर प्रस्तुति देने के लिए अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों के रूप में निम्नलिखित नामों की पहचान की गई। ये नाम हैं (i) श्री विनायक चटर्जी (ii) डॉ वंकिना तुलसीधर।

मद 6.6 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।

(i) निदेशक (तकनीकी), राजविअ ने सूचित किया कि कार्यबल के अध्यक्ष द्वारा यथा सहमत समूह के कार्यकाल को और चार माह के लिए बढ़ाने तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है और जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ii) श्री एमके सिन्हा, विशेष आमंत्रित ने राष्ट्रीय परियोजनाओं पर एक नोट दिया जिसकी प्रति अनुपत्र 66 के रूप में संलग्न है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में लिंक की पहचान करने का कार्य राजविअ द्वारा पूर्ण औचित्य देते हुए एक साथ किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने इस विचार की सराहना की और बताया कि व्यक्तिगत लिंक की स्थिति की समीक्षा करते समय लिंक की प्राथमिकता भी निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

(iii) सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के बाद 19 जनवरी, 2018 को समूह की अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

अनुबंध-I

27 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की छठी बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों की सूची।

1.	डॉ. प्रदीप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव तथा आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के सदस्य और प्रतिष्ठित फेलो, टेरी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एच सतीश राव, (सेवानिवृत्त) महानिदेशक , एडीबी, बंगलुरु	सदस्य
3.	श्री के पी गुप्ता, निदेशक तकनीकी, राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

4.	श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट एडवाइजरी, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए
5.	श्री एम के मित्तल, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी, फरीदाबाद	सदस्य
6.	श्री दीपक दास गुप्ता, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	श्री एम के सिन्हा, निर्धारक, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
	अन्य अधिकारी	
8.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एससीआईएलआर), राजविअ नई दिल्ली	
9.	श्री आर. के. अग्रवाल, सलाहकार, राजविअ, नई दिल्ली	
10.	श्री रजत नारंग, निदेशक, कॉर्पोरेट वित्त, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
11.	श्री वैभव जैन, वरिष्ठ प्रबंधक-रणनीतिक सरकारी सलाहकार, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	

धारणाएँ

अनुबंध-6.2.2

परिदृश्य 1:	
8% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि	**8.0%**
5.2% की अनुमानित मुद्रास्फीति मानते हुए	
13.2% का नॉमिनल जीडीपी सीएजीआर	**13.2%**

जीडीएस दर	33.2%	28%	
बैंक जमा में % जीडीएस	26.6%		
% यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और बैंक क्रेडिट	68.8%	विकास दर	
% के लिए क्रेडिट परिनियोजन अवसरंचना	13.6%		
% क्रेडिट परिनियोजन शक्ति बुनियादी ढांचे के लिए	7.5%	टेरी अध्ययन 5-6 साल	
% के लिए क्रेडिट परिनियोजन दूरसंचार अवसंरचना	1.8%		
% सड़क और परिवहन के लिए क्रेडिट परिनियोजन अवसरंचना	2.5%	मैकिन्से	
% के लिए क्रेडिट परिनियोजन अन्य बुनियादी ढांचा	1.9%		
बड़े पैमाने पर सिंचाई और पानी		3.476 0	
अन्य इंफ्रा			
% के लिए क्रेडिट परिनियोजन प्राथमिकता क्षेत्र	33.4%		

(अरब रुपये)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12)	163,984	177,103	191,271	206,573	223,098
सकल घरेलू बचत (जीडीएस)	54,370	58,719	63,417	68,490	73,970
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अतिरिक्त जमा वर्ष के लिए	14,449	15,605	16,853	18,202	19,658

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सकल जमाराशियां	121,963	137,568	154,421	172,623	192,281
सकल बैंक ऋण	83,905	94,641	106,235	118,757	132,281
बुनियादी ढांचे के लिए बैंक ऋण	**11,449**	**12,914**	**14,496**	**16,204**	**18,050**
पावर इंफ्रा के लिए बैंक क्रेडिट	6,315	7,123	7,996	8,938	9,956
टेलीकॉम इंफ्रा के लिए बैंक क्रेडिट	1,481	1,671	1,876	2,097	2,336
सड़कों के लिए बैंक ऋण बुनियादी ढांचा क्षेत्र	2,100	2,369	2,659	2,972	3,311
अन्य के लिए बैंक ऋण बुनियादी ढांचा क्षेत्र	1,552	1,751	1,966	2,197	2,447
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए बैंक ऋण	**28,055**	**31,644**	**35,521**	**39,708**	**44,230**

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
240,946	260,222	281,040	303,523	327,805	354,029	382,352	412,940
79,887	86,278	93,180	100,635	108,686	117,380	126,771	136,912
21,230	22,929	24,763	26,744	28,884	31,194	33,690	36,385
213,511	236,439	261,202	287,946	316,830	348,024	381,714	418,099
146,886	162,660	179,696	198,095	217,965	239,425	262,602	287,634
20,043	**22,195**	**24,519**	**27,030**	**29,741**	**32,670**	**35,832**	**39,248**
11,055	12,242	13,525	14,909	16,405	18,020	19,765	21,648
2,593	2,872	3,173	3,498	3,848	4,227	4,637	5,079
3,676	4,071	4,498	4,958	5,455	5,992	6,573	7,199
2,718	3,009	3,325	3,665	4,033	4,430	4,859	5,322
49,113	**54,388**	**60,084**	**66,236**	**72,880**	**80,055**	**87,805**	**96,174**

2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
445,975	481,653	520,185	561,800	606,744	655,283	707,706
147,865	159,695	172,470	186,268	201,169	217,263	234,644
39,296	42,439	45,834	49,501	53,461	57,738	62,357
457,394	499,834	545,668	595,170	648,631	706,369	768,727
314,667	343,864	375,396	409,451	446,230	485,951	528,850
42,936	**46,920**	**51,223**	**55,869**	**60,888**	**66,308**	**72,162**
23,683	25,881	28,254	30,817	33,585	36,575	39,803
5,556	6,071	6,628	7,229	7,879	8,580	9,338
7,876	8,606	9,396	10,248	11,168	12,163	13,236
5,822	6,362	6,945	7,576	8,256	8,991	9,785
105,213	**114,975**	**125,519**	**136,905**	**149,203**	**162,484**	**176,828**

2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
764,323	825,468	891,506	962,826	1,039,853	1,123,041	1,212,884
253,415	273,689	295,584	319,230	344,769	372,350	402,138
67,346	72,734	78,552	84,836	91,623	98,953	106,870
836,072	908,806	987,358	1,072,195	1,163,818	1,262,771	1,369,641
575,181	625,219	679,259	737,623	800,656	868,732	942,253
78,483	**85,311**	**92,685**	**100,649**	**109,249**	**118,538**	**128,570**
43,290	47,056	51,124	55,516	60,261	65,384	70,918
10,156	11,039	11,993	13,024	14,137	15,339	16,637
14,396	15,648	17,001	18,462	20,039	21,743	23,583
10,642	11,568	12,567	13,647	14,813	16,073	17,433
192,319	**209,050**	**227,119**	**246,634**	**267,710**	**290,472**	**315,055**

2045	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**
1,309,915	1,414,708	1,527,885	1,650,115	1,782,125	1,924,694
434,310	469,054	506,579	547,105	590,873	638,143
115,419	124,653	134,625	145,395	157,026	169,588
1,485,060	1,609,713	1,744,337	1,889,732	2,046,758	2,216,347
1,021,656	1,107,412	1,200,028	1,300,053	1,408,080	1,524,750
139,405	**151,106**	**163,744**	**177,392**	**192,132**	**208,052**
76,894	83,348	90,319	97,847	105,978	114,759
18,039	19,553	21,188	22,954	24,862	26,922
25,571	27,717	30,035	32,538	35,242	38,162
18,902	20,489	22,203	24,053	26,052	28,210
341,604	**370,278**	**401,245**	**434,690**	**470,810**	**509,820**

अनुलग्नक-6.2.3

आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)

छठी एससीएलआईआर बैठक: 27, फरवरी 2018

इस पीपीटी में शामिल है

- इस पीपीटी का उद्देश्य ओडीए संसाधनों, अतीत और भविष्य: सकल, बुनियादी ढांचे और आईएलआर के लिए चर्चा "आरंभ" करना है।
- पीपीटी पिछले **27** वर्षों (**1990-2017)** में मुख्य रूप से एमडीबी और द्विपक्षीय से पिछले ओडीए की समीक्षा करता है।
- समीक्षा से कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं कि भविष्य में ओडीए कैसा दिख सकता है।
- आईएलआर के लिए संभावित ओडीए निर्धारित करने के लिए बाद की बैठकों में अधिक विश्लेषण किया जाएगा।

ओडीए (1) का क्या अर्थ है

- ओईसीडी की ओडीए की परिभाषा है:
- विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासित आधिकारिक वित्तपोषण का प्रवाह, और जो कम से कम **25** प्रतिशत (निश्चित **10** प्रतिशत छूट दर का उपयोग करके) के अनुदान तत्व के साथ रियायती प्रकृति का है।
- परंपरा के अनुसार, ओडीए प्रवाह में सभी स्तरों पर विकासशील देशों ("द्विपक्षीय ओडीए") और बहुपक्षीय संस्थानों को दाता सरकारी एजेंसियों का योगदान शामिल होता है। ओडीए प्राप्तियों में द्विपक्षीय दाताओं और बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा संवितरण शामिल होता है।

ओडीए (2) का क्या अर्थ है

- दूसरे शब्दों में, ओडीए में तीन तत्व शामिल होने चाहिए:

(क) आधिकारिक क्षेत्र (राज्य और स्थानीय सरकारों, या उनकी कार्यकारी एजेंसियों सहित आधिकारिक एजेंसियों) द्वारा किया गया

(ख) आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है और

(ग) रियायती वित्तीय शर्तों पर (यदि ऋण है, तो कम से कम **25** प्रतिशत का अनुदान तत्व होना चाहिए)।

भारत के ओडीए का वर्गीकरण

भारत के ओडीए को दो मुख्य स्रोतों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है:

• बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आईएफआई)

[-विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी)]

[-हाल ही में, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवेलपमेंट बैंक (एनडीबी)]

[-हाल ही में, आईएफआई भी: यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) और आईएफएडी]

और

• द्विपक्षीय, अर्थात विकसित देश सरकारें

[-मुख्य रूप से, जापान (जेएआईसीए) और जर्मनी (केएफडब्ल्यू)] [-हाल ही में, फ्रांस (एएफडी) भी]

एमडीबी (1)

• **ब्रेटन वुड्स एमडीबी**: जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 44 देशों ने भाग लिया, जिसमें आईबीआरडी (जो आगे चलकर विश्व बैंक समूह बन गया) की शुरुआत हुई

• इसके बाद क्षेत्रीय एमडीबी बने: आईएडीबी (1959), एएफडीबी (1963), एडीबी (1966) और ईबीआरडी (1991)

• इन 5 एमडीबी को "विरासत एमडीबी" कहा जाता है

• फिर 2015 में, दो नए एमडीबी अस्तित्व में आए: एआईआईबी और एनडीबी, दोनों का मुख्यालय चीन में है।

• इसके साथ, अब 7 एमडीबी हैं।

• इनमें से, डब्ल्यूबी और एडीबी भारत की सहायता कर रहे हैं, हाल ही में, एनडीबी (2016) और एआईआईबी (2017) ने भारत को सहायता देना शुरू किया है।

एमडीबी (2)

1. ब्रेटन वुड्स संस्थान

1944 [189]-विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) समूह: वाशिंगटन, डीसी, यूएसए: [अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना (**2030** तक **3%**) और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना]

-अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)

-अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

-अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)

-बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए)

2. क्षेत्रीय विकास बैंक

1959 [48]-अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (आईबीआरडी): वाशिंगटन, डीसी, यूएसए[एक स्थायी, जलवायु-अनुकूल तरीके से विकास प्राप्त करना]

1963 [54]-अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी): अबिदजान, आइवरी कोस्ट [गरीबी कम करने के लिए स्थायी आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना]

1966 [67]-एशियाई विकास बैंक (एडीबी): मनीला, फिलीपींस [विजन: गरीबी से मुक्त एशिया-प्रशांत क्षेत्र गरीबी]

1991 [65]-यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी): लंदन, यूके [मध्य और पूर्वी यूरोप में शीत युद्ध के बाद के नए युग के निर्माण में मदद करना; लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध और उन्हें लागू करने वाले देशों में खुली और टिकाऊ बाजार अर्थव्यवस्थाओं का विकास करना]

3. नए एमडीबी

2015 [80]-एशियाई अवसंरचना और निवेश बैंक (एआईआईबी): बीजिंग, चीन [क्षेत्र में अंतर-संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना और मौजूदा बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ सहयोग करना]

2015 [5]-नया विकास बैंक (एनडीबी): शंघाई, चीन [अवसंरचना और सतत विकास]

शासन- शेयरधारिता और अध्यक्ष

एआईआईबी		एनडीबी	
चीन	30.34%	चीन	20%
भारत	8.52%	भारत	20%
रूस	6.66%	रूस	20%
जर्मनी	4.57%	ब्राजील	20%
इंडोनेशिया	3.42%	दक्षिण अफ्रीका	20%
PRESIDENT		PRESIDENT	
CHINA		**INDIA (1st 5yrs)**	

एडीबी		विश्व बैंक	
जापान	15.6%	यूएसए	17.58%
अमेरिका	15.5%	जापान	7.58%
चीन	6.5%	चीन	4.88%
भारत	6.3%	जर्मनी	4.42%
ऑस्ट्रेलिया	5.8%	फ्रांस	4.14%
		UK	4.14%
अध्यक्ष		अध्यक्ष	
JAPAN		**USA**	

सहायता के प्रकार: ऋण, अनुदान और टीए

(ए) बाजार आधारित [आईबीआरडी-डब्ल्यूबी; ओसीआर-एडीबी]

(बी) रियायती [आईडीए-डब्ल्यूबी; एडीएफ-एडीबी]

डब्ल्यूबी समूह: []

आईबीआरडी (सार्वजनिक क्षेत्र): बाजार आधारित ऋण और गारंटी। आईडीए (सार्वजनिक क्षेत्र): रियायती ऋण।

आईएफसी (निजी क्षेत्र): वाणिज्यिक ऋण/इक्विटी/गारंटी। टीए (सार्वजनिक क्षेत्र): परियोजना तैयारी/सलाह के लिए अनुदान।

एडीबी: []

ओसीआर (सार्वजनिक क्षेत्र): बाजार आधारित ऋण और गारंटी। ओसीआर (निजी क्षेत्र): वाणिज्यिक ऋण/इक्विटी/गारंटी। टीए (सार्वजनिक क्षेत्र): परियोजना तैयारी/सलाह के लिए अनुदान।

एआईआईबी: []

ऋण (सार्वजनिक क्षेत्र): बाजार आधारित ऋण और गारंटी। ऋण (निजी क्षेत्र): वाणिज्यिक ऋण/इक्विटी/गारंटी। टीए (सार्वजनिक क्षेत्र): परियोजना तैयारी के लिए अनुदान।

एनडीबी: []

ऋण (सार्वजनिक क्षेत्र): बाजार आधारित ऋण और गारंटी। ऋण (निजी क्षेत्र): वाणिज्यिक ऋण/इक्विटी/गारंटी। टीए (सार्वजनिक क्षेत्र): परियोजना तैयारी के लिए अनुदान।

16/03/2018 9

भारत को ओडीए सहायता
वित्त वर्ष 1991(1990-91) से वित्त वर्ष 2017 (2016-17)
(नाममात्र/वर्तमान शर्तों में बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

2

औसत सहायता/वर्ष				चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर-% -नाममात्र शर्तें)				प्रतिशत	
1991 to 2017	2001 To 2017	2011 to 2017	2017	1991 to 2017	2001 To 2017	2011 to 2017	2017	1991 to 2017	2001 To 2017
7-yr Avg.	17-yr Avg.	7-yr Avg.	1-yr	27-yr CAGR	17-yr CAGR	7-yr CAGR	1-yr	27-yr Share	17-yr Share
42	7.61	10.02	9.36	2.8%	5.5%	2.2%	-	100%	100%
99	4.90	6.18	6.14	3.3%	3.8%	(-)2.4%	-	62%	64%
2.68	3.18	3.86	2.93	1.2%	1.0%	(-)10.0%	-	42%	42%
1.43	1.78	1.87	2.09	1.2%	1.7%	2.3%	-	22%	23%
1.25	1.40	1.99	0.84	(-)0.6%	(-)0.5%	(-)21.5%	-	20%	19%
1.22	1.58	2.03	2.59	7.0%	5.2%	8.9%	-	19%	21%
43	2.71	3.84	3.22	2.1%	15.3%	19.0%	-	38%	36%

भारत को ओडीए पर सारांश निष्कर्ष

डीईए से पिछले डेटा (1991-2017) **के आधार पर**

(नाममात्र/वर्तमान शर्तों में बिलियन अमेरिकी डॉलर में राशि)

- ए. **ओडीए**

- एमडीबी (डब्ल्यूबी और एडीबी) ने **2/3** हिस्सा लिया, जबकि द्विपक्षीय (मुख्य रूप से जापान और जर्मनी) ने शेष **1/3** हिस्सा साझा किया
- **1991 (6.42** बिलियन) से **2017 (9.36** बिलियन) तक वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) नाममात्र शर्तों में **2.8%** थी
- वास्तविक शर्तों में, ओडीए के लिए सीएजीआर सबसे अधिक संभावना मामूली थी

- बी. **एमडीबी**

- हाल ही में, **2011-2017** के दौरान, आईडीए (सीएजीआर: -**21.5%)** में हाल ही में तेज गिरावट के कारण एमडीबी सहायता में गिरावट आई (सीएजीआर: -**2.4%)**
- **1991-2017** के दौरान, डब्ल्यूबी और एडीबी के लिए **7.0%**
- **2017** में, डब्ल्यूबी (**2.93** बिलियन) के ओडीए का हिस्सा **31%** था, जबकि एडीबी (**2.59** बिलियन) का हिस्सा **28%** था
- निकट भविष्य में, आईडीए के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने और भारत द्वारा आईबीआरडी एकल उधारकर्ता सीमा तक पहुंचने की संभावना के साथ, डब्ल्यूबी उधार भविष्य में स्थिर या उससे भी कम होने की संभावना है
- दूसरी ओर, भविष्य में एडीबी उधार में मामूली वृद्धि देखने को मिल सकती है
- नए प्रवेशकों एआईआईबी और एनडीबी द्वारा निकट भविष्य में एमडीबी उधार में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि की संभावना है
- कुल मिलाकर, एमडीबी अगले **10** वर्षों में मामूली वृद्धि देख सकता है

- सी. **द्विपक्षीय**

- **1991 (1.90** बिलियन) से **2017 (3.20** बिलियन) तक वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) नाममात्र शर्तों में **2.1%** थी
- हालांकि, हाल ही में **2011-2017** के दौरान सीएजीआर **19.0%** से बहुत अधिक थी
- इसे देखते हुए हाल के रुझान को देखते हुए, द्विपक्षीय समझौतों से एमडीबी सहायता के साथ तालमेल बनाए रखने और भविष्य में ओडीए में अपना हिस्सा लगभग **1/3** पर बनाए रखने की उम्मीद की जा सकती है।

कुल मिलाकर, भविष्य में भारत को मिलने वाले ओडीए में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है।

आगे की ओर.....

- **4** एमडीबी और द्विपक्षीयों से सकल वार्षिक ओडीए वर्तमान **$10** बिलियन के स्तर से बढ़कर अगले पांच वर्षों में **$18** बिलियन (आशावादी) के अनुमानित आंकड़े तक पहुंच सकता है:
- - एमडीबी: **12 (**डब्ल्यूबी-**4,** एडीबी-**4,** एआईआईबी-**2,** एनडीबी-**2)**
- - द्विपक्षीय: **6** (जापान, जर्मनी, फ्रांस)
- आईएलआर के लिए **10%** उपलब्धता मानते हुए, आईएलआर के लिए वार्षिक ओडीए अगले **10** वर्षों में लगभग **$1.8** बिलियन या कुल **$18** बिलियन हो सकता है।
- भविष्य में आईएलआर ओडीए के बेहतर अनुमान पर पहुंचने के लिए और अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। यह अगली बैठकों में होगा।

.

धन्यवाद

क्या भारत को आईडीए से रियायती सहायता मिलती रहेगी?

- विश्व बैंक के **2018** वित्तीय वर्ष (**2017-2018)** के लिए देश की आय वर्गीकरण के आधार पर**,** थ्रेशोल्ड जीएनआई/प्रति व्यक्ति (वर्तमान यूएस डॉलर) एटलस विधि के संदर्भ में**,** इसकी संभावना नहीं है
- निम्न-आय**< 1,005**
- निम्न-मध्यम आय **1,006 - 3,955 [2016:**भारत**-1,670]**
- उच्च-मध्यम आय **3,956 - 12,235 [2016:**चीन**-8,250]**
- उच्च-आय**> 12,235**

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए अभिनिर्धारित राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से XIवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक स्कीम अनुमोदित की है । ऐसी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी जो ऐसी परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 90% होगी। नीचे पैरा-I में उल्लिखित मानदंड के आधार पर भारत सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में अनुबंध-I में दी गई 14 परियोजनाओं की पहचान कर ली है।

I. राष्ट्रीय परियोजनाओं के चयन के लिए मानदंड

राष्ट्रीय परियोजना के चयन के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :

(क) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां किसी संधि द्वारा भारत में जल का उपयोग अपेक्षित है अथवा देश के हित में परियोजना की आयोजना और उसे शीघ्र पूरा करना आवश्यक है।

(ख) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित लागतों के बंटवारे, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलुओं आदि से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान न किए जाने के कारण पिछड़ रही हैं।

(ग) अंतराज्यीय परियोजनाएं जिनकी अतिरिक्त क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर (हैक्टेयर) से अधिक है और जिनमें जल की हिस्सेदारी से संबंधित कोई विवाद नहीं है और जहां जल विज्ञान स्थापित है।

II. राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया

(क) नई परियोजनाओं को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II के अनुसार) में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने, व्यय वित्त समिति/परियोजना निवेश बोर्ड से मंजूरी मिलने तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की देखरेख के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की सिफारिश और केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन मिलने पर राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

(ख) राज्य सरकारें परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शामिल करने के लिए अनुबंध-II में दिए गए फार्म-1 में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए और प्रस्ताव की एक-एक प्रति सीडब्ल्यूसी (मुख्यालय) और जल संसाधन मंत्रालय को दी जानी चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं से योजना आयोग की निवेश स्वीकृति सहित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए अपेक्षित सभी पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए।

(घ) केवल वृहद सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाएं ही राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शामिल किए जाने की पात्र होंगी।

(ङ) किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, जल संसाधन मंत्रालय परियोजना की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और विनिदष्ट समय-सीमा में इसे पूरा करने के लिए योजनाओं को पक्का करने की दृष्टि से परियोजना स्थल पर अधिकारियों का एक दल भेज सकता है।

III. राष्ट्रीय परियोजनाओं का वित्तपोषण

(क) परियोजना प्राधिकरण को आंतरिक लेखा परीक्षा करनी चाहिए और किए गए वास्तविक व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्रमाणित निधियों की शेष आवश्यकता प्रस्तुत करनी चाहिए। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, इन राष्ट्रीय परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की वचनबद्धता राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इनके शामिल होने की तारीख से होगी।

(ख) राष्ट्रीय परियोजनाओं को पैरा III (सी) और III (डी) में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधानों को छोड़कर एआईबीपी के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी।

(ग) राष्ट्रीय परियोजनाएं परियोजना के सिंचाई और पेयजल घटकों की शेष परियोजना लागत (कार्य की लागत) के 90% अनुदान की पात्र होंगी। केन्द्रीय वित्त पोषण के प्रयोजन के लिए, पेयजल घटक की लागत में केवल पेयजल घटक के लिए अपेक्षित पारेषण एवं वितरण नेटवर्क से संबंधित कार्य शामिल नहीं होंगे।

(घ) कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता वार्षिक अनुदान आवश्यकता के क्रमश 90% और 10% की दो किस्तों में प्रदान की जाएगी । वर्ष के दौरान दूसरी किस्त राज्य के हिस्से के साथ पहली किस्त में जारी 80% अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी। बाद के वर्षों के लिए, अनुदान की पहली किस्त राज्य के हिस्से के साथ पिछले वर्ष तक जारी 80% अनुदान के उपयोग पर और वास्तविक उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अनुबंध-III में दिए गए प्रोफार्मा में समझौता ज्ञापन में निर्धारित परियोजना से लाभों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

(ङ) राष्ट्रीय परियोजना की सभी स्थापना और प्रशासनिक लागत पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(च) राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में वित्तपोषित परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को योजना आयोग से तीन वर्षों के अंतराल पर अनुमोदित करवाया जाना चाहिए अन्यथा जल संसाधन मंत्रालय परियोजना का वित्तपोषण रोक सकता है।

(छ) राज्य सरकार को जारी केन्द्रीय अनुदान, केन्द्र सरकार से इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा परियोजना प्राधिकारियों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(ज) राज्य सरकार केन्द्रीय अनुदान जारी होने के 18 माह के भीतर राष्ट्रीय परियोजना पर किए गए व्यय का लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगी।

IV. राष्ट्रीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना और समय अनुसूची।

(क) राज्य सरकार किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव के साथ-साथ विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पीईआरटी/सीपीएम चार्ट सहित विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए वर्ष-वार वास्तविक और वित्तीय कार्यक्रम का ब्यौरा देगी ताकि विभिन्न कार्यकलापों को समय पर पूरा किया जा सके। यह परियोजना से लाभ के वर्षवार लक्ष्य को भी इंगित करेगा। राज्य सरकार द्वारा

अनुबंध-IV में दिए गए प्रोफार्मा में जल संसाधन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ख) (ख) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, राज्य सरकार परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के कार्यक्रम का भी संकेत देगी। सीडब्ल्यूसी परियोजना के पूरा होने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित समय अवधि को ध्यान में रखते हुए परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करेगी और परियोजना को पूरा करने में उसी समय सीमा का पालन किया जाएगा। (ग) राज्य सरकार परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगी और इस प्रयोजन के लिए टर्न-की अथवा नियत समय और निर्धारित मूल्य संविदाओं जैसे उपयुक्त उपाय अपनाएगी। राज्य सरकार द्वारा कार्य अलग-अलग पैकेजों में सौंपे जाने चाहिए ताकि किसी पैकेज का कार्य अन्य पैकेजों के कार्यों की प्रगति से प्रभावित न हो।

(घ) राज्य सरकार को परियोजना को समय पर पूरा करने को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय परियोजना के निष्पादन हेतु ठेकों के लिए कड़े प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों के प्रावधान को शामिल करने पर विचार करना चाहिए ।

(ङ) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को परियोजना कार्यान्वयन के *साथ-साथ* कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(च) प्रस्तावित राष्ट्रीय परियोजनाओं के नियंत्रण में भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाना चाहिए, आजीविका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और विभिन्न आरडी कार्यक्रमों को आपस में मिलाने के साथ-साथ अग्रिम योजना बनाई जानी चाहिए ताकि मंडियों और निकटवर्ती बाजारों में संचार नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पाद का विपणन किया जा सके।

(छ) राष्ट्रीय परियोजना कमान के किसानों को मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का कार्य राष्ट्रीय परियोजनाओं की मानीटरिंग से पूर्व पूरा कर लिया जाना चाहिए।

V. राष्ट्रीय परियोजनाओं की निगरानी

(क) राष्ट्रीय परियोजनाओं के संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गहन रूप से की जाएगी। राष्ट्रीय परियोजनाओं की निगरानी प्रबंधन सूचना प्रणाली से जुड़ी जीआईएस आधारित परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के साथ क्षेत्र आधारित होगी।

(ख) राज्य सरकार कमान के किसानों को उन्नत फसल नियोजन और विस्तार आदानों के लिए कृषि विभागों के साथ निकट समन्वय बनाए रखेगी।

(ग) परियोजना से सृजित संभाव्यता के लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र अभिकरणों और सुदूर संवेदन तकनीक जैसे अन्य साधनों के माध्यम से भी करवाया जा सकता है।

(घ) राज्य सरकार अनुबंध-V में दिए गए प्रोफार्मा में तिमाही वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय को भेजेगी।

(ङ) राज्य सरकार कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परियोजना क्षेत्रों में स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण संगठन और पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। नमूना और परीक्षण प्रासंगिक बीआईएस कोड के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

VI. संचालन समिति द्वारा समीक्षा

सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। संचालन समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय अनुबंध-VI में देखे जा सकते हैं।

VII. मूल्यांकन और प्रभाव आकलन

राज्य सरकार द्वारा परियोजना का समवर्ती मूल्यांकन और इसके पूरा होने पर परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन का एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र संगठन के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों, परिणामों और लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय भी मूल्यांकन और प्रभाव का आकलन अलग से करवा सकता है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपनी चालू योजना स्कीम "जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम" के माध्यम से मूल्यांकन और प्रभाव आकलन के लिए धन प्रदान किया जाएगा।

<u>अनुलग्नक-I</u>

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनाओं की सूची :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	1) सिंचाई (हेक्टेयर) 2) पावर (मेगावाट) 3) भंडारण (एमएएफ़)	राज्य
1	तीस्ता बैराज	1) 9.23 लाख 2) 1000 मेगावॉट 3) बांध	पश्चिम बंगाल
2	शाहपुर कंडी	1) 3.80 लाख 2) 300 मेगावॉट 3) 0.016 एमएएफ	पंजाब
3	बर्सर	1) 1 लाख (अप्रत्यक्ष) 2) 1230 मेगावॉट 3) 1 एमएएफ	जम्मू कश्मीर
4	दूसरा रवि व्यास लिंक	लगभग 3 एमएएफ की सीमा के पार बहने वाले पानी का दोहन करना	पंजाब
5.	उझ बहुउद्देशीय परियोजना	1) 0.32 लाख हेक्टेयर 2) 280 मेगावॉट 3) 0.66 एमएएफ	जम्मू कश्मीर
6.	जिस्पा परियोजना	1) 0.50 लाख हेक्टेयर 2) 240 मेगावॉट 3) 0.6 एमएएफ	हिमांचल प्रदेश
7.	लखवर व्यासी	1) 0.49 लाख 2) 420 मेगावॉट 3) 0.325 एमएएफ	उत्तरांचल
8.	किशाऊ	1) 0.97 लाख 2) 600 मेगावॉट 3) 1.04 एमएएफ	हिमांचल प्रदेश /उत्तरांचल
9.	रेणुका	1) पीने का पानी 2) 40 मेगावॉट 3) 0.44 एमएएफ	हिमांचल प्रदेश
10.	नोआ-देहांग बांध परियोजना	1) 8000 हेक्टेयर। 2) 75 मेगावॉट 3) 0.26 एमएएफ	अरुणाचल प्रदेश
11.	कुलसी बांध परियोजना	1) 23,900 हेक्टेयर। 2) 29 मेगावॉट 3) 0.28 एमएएफ	असम
12.	अपर सियांग	1) चक्करदार 2) 9500 मेगावाट 3) 17.50 एमएएफ 4) बाढ़ नियंत्रण	अरुणाचल प्रदेश

13	गोसीखुर्द	1) 2.50 लाख 2) 3 मेगावट 3) 0.93 एमएएफ	महाराष्ट्र
14	केन बेतवा	1) 6.46 लाख 2) 72 मेगावॉट 3) 2.25 एमएएफ	मध्य प्रदेश

अनुबंध-II

राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

1. राज्य का नाम :

2. परियोजना का नाम :

3. परियोजना का संक्षिप्त विवरण :

हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में स्थित इस परियोजना में ....हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए शीर्ष कार्य (विवरण दें) और नहर प्रणाली (विवरण दें) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना से ....हेक्टेयर सिंचित कमान क्षेत्र को सिंचाई लाभ मिलेगा, जिसका तालुका और जिलावार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है । इस परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता ....हेक्टेयर है। परियोजना ने ....मेगावाट जल विद्युत की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है। इस परियोजना का उद्देश्य गांवों और कस्बों को पेयजल लाभ प्रदान करना है जिसका ब्यौरा संलग्न है। योजना आयोग ने वर्ष .....में इस परियोजना को ....करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी थी।
परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत ....मूल्य स्तर (नवीनतम अनुमानित लागत के अनुमोदन की स्थिति) पर ....करोड़ रुपये है और पिछले मार्च के अंत तक किया गया व्यय ....करोड़ रुपये हैं। यह परियोजना वर्ष ....के दौरान शुरू की गई थी और इसे वर्ष ....तक पूरा करने का प्रस्ताव है ।
पिछले मार्च को समाप्त (मार्च के समाप्त) में परियोजना के मुख्य घटकों की वास्तविक प्रगति (प्रतिशत में) नीचे दी गई है:

क्रमांक	घटक	प्रगति %
	बांध (एच /कार्य)	%
	मुख्य और शाखा नहरें	%
	चक आउटलेट तक वितरण प्रणाली	%
	जल मार्ग	%

परियोजना से अब तक प्राप्त प्रत्यक्ष लाभ हैं.................
(क्या परियोजना को कोई विदेशी /घरेलू सहायता प्राप्त हो रही है ? परियोजना के केवल उन्हीं घटकों पर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सहायता के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें किसी अन्य आंतरिक अथवा बाह्य स्त्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है । तथापि, राज्य सरकार अन्य स्त्रोतों से राज्य अंश बढ़ा सकती है।

4. राष्ट्रीय परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित घटक

(क) केन्द्रीय अनुदान के लिए प्रस्तावित परियोजना के घटकों का संक्षिप्त विवरण :

घटक का नाम	इसकी वर्तमान स्थिति	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1.		
2.		
3.		

उपर्युक्त घटकों के पूरा होने पर सिंचाई संभाव्यता/ संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता/संभावित पेयजल लाभों में संभावित वृद्धि की संभावना ....

(ख) कार्यों के लिए निधियों की वर्ष-वार आवश्यकता और संभावित प्रत्यक्ष लाभ;

वर्ष	प्रस्तावित अनुदान	राज्य सरकार का हिस्सा	कुल	संभावित प्रत्यक्ष लाभ (सिंचाई क्षमता, स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता आदि)
कुल				

परियोजना के लिए राज्य बजट में किया गया प्रावधान : करोड़ रुपए..................................

विवरण : कार्यों के लिए रु...................... करोड़ रुपए

स्थापना के लिए रु.............. करोड़ रुपए।

(ग) कवर की जाने वाली मदों के लिए कार्यों का कार्यक्रम :

क्र.सं.		घटकों का विवरण	इकाई	कुल अनुमानित मात्रा	निष्पादित मात्रा (मार्च) तक	अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित मात्रा
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I		**यूनिट-I/हेड वर्क्स**				
1		बांध/बैराज				
	i)	भूमि अधिग्रहण	हेक्टेअर			
	ii)	भूमि कार्य				
		क) उत्खनन				
		ख) तटबंध				
	iii)	चिनाई का काम				

	iv)	ठोस काम				
	v)	द्वार	संख्या			
	vi)	विविध (कृपा निर्दिष्ट करें)				
II		**यूनिट-II**				
1		मुख्य नहर, शाखा नहर	किलोमिटर			
	i)	भूमि अधिग्रहण	हेक्टेअर			
	ii)	भूमि कार्य				
	iii)	लाइनिंग				
	iv)	संरचनाओं	नंबर			
	v)	विविध (कृपा निर्दिष्ट करें)				
2		वितरिकाएँ और लघु नदियाँ				
	i)	भूमि अधिग्रहण				
	ii)	भूमि कार्य				
	iii)	लाइनिंग				
	iv)	संरचनाओं				
	v)	विविध (कृपा निर्दिष्ट करें)				
3		जल मार्ग				
	i)	भूमि अधिग्रहण				
	ii)	भूमि कार्य				
	iii)	लाइनिंग				
	iv)	विविध (कृपया निर्दिष्ट करें)				

(परियोजना की मुख्य विशेषताएं और संलग्न किए जाने वाले राष्ट्रीय परियोजना घटकों को दर्शाने वाला सूचकांक मानचित्र)।

मौजूदा बाधाओं/बाधाओं, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए और परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किए जा रहे उपचारात्मक उपायों का उल्लेख किया जाए।

प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी :

1. निम्नलिखित प्रोफार्मा में परियोजना के पूरा होने तक वर्षवार भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम:

भौतिक कार्यक्रम और प्रगति

- कार्य का मद (केवल महत्वपूर्ण मदें दी जानी हैं)
- कुल अनुमानित मात्रा
- अब तक निष्पादित मात्रा
- शेष मात्रा
- परियोजना के पूरा होने तक शेष मात्रा के निष्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा
- परियोजना से प्रत्यक्ष लाभ का वर्षवार विवरण

वित्तीय कार्यक्रम और प्रगति

- कार्य का मद (केवल महत्वपूर्ण मदें दी जानी हैं)
- कुल अनुमानित लागत
- अब तक किया गया व्यय
- शेष लागत
- परियोजना के पूरा होने तक शेष लागत के निष्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा

2. अब तक कवर किए गए जिला और तालुकावार क्षेत्र के साथ सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र का जिला और तालुकावार ब्यौरा दिया जा सकता है।
3. परियोजना से अन्य प्रत्यक्ष लाभ निर्धारित और अब तक प्राप्त किए गए ।
4. मंजूरी की प्रतियों के साथ सभी अनिवार्य मंजूरी की स्थिति दी जा सकती है ।
5. राजस्व, वन और निजी भूमि और अब तक अधिग्रहित भूमि के ब्यौरे के साथ परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि । जलाशय और नहर प्रणाली के लिए आवश्यक भूमि अलग से दी जा सकती है।
6. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास की स्थिति दी जा सकती है, जिसमें परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की गांववार संख्या के साथ प्रभावित होने वाले संभावित गांवों की संख्या, अब तक पुनर्वास किए गए परिवारों की गांववार संख्या शामिल है ।
7. चल रहे ठेकों का विवरण जिसमें कवर किए गए कार्य, अनुबंध का वर्ष, अनुबंध के अनुसार अनुबंध पूरा होने का वर्ष, वर्तमान स्थिति के साथ-साथ अनुबंधित कार्यों को पूरा करने में देरी के कारण दिए जाएं।
8. कवर किए जाने वाले कार्यों के ब्यौरे, संभावित संविदा लागत और प्रत्येक पैकेज की समयावधि के साथ शेष कार्य के लिए प्रस्तावित पैकेजों की संख्या।

<u>अनुबंध-III</u>

<u>भौतिक उपलब्धि प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय परियोजना के रूप में .... परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, ... को समाप्त अवधि के लिए परियोजना की मात्रा और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ के भौतिक लक्ष्य/उपलब्धियां निम्नलिखित थीं।

क्र.सं. नहीं।	कार्य के घटक का नाम	घटक के कार्य की कुल मात्रा		अवधि समाप्त होने का लक्ष्य......	अवधि समाप्त होने के लिए वास्तविक उपलब्धि.....
	1. हेडवर्क्स 2. मुख्य और शाखा नहर 3. वितरण प्रणाली 4. सिंचाई क्षमता				

तदनुरूपी अवधि के लिए वास्तविक उपलब्धियों को उन लक्ष्यों के प्रति दर्शाया जाता है जिन्हें वास्तव में प्राप्त किया जा चुका है।

दिनांकित:

एसडी-
प्रमुख सचिव/सचिव
जल संसाधन/सिंचाई विभाग

अनुलग्नक-IV

<u>राष्ट्रीय परियोजना के पूरा होने पर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और .... सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।</u>

1. यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय और .... सरकार के बीच भारत सरकार के राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत .... परियोजना को ....वर्षों में पूरा करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है।
2. 2. योजना आयोग ने 2014 में .... करोड़ रुपए की लागत से .... परियोजना को मंजूरी दी थी, जिससे .... हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकेगी, ... इकाइयों की पनबिजली पैदा की जा सकेगी और सालाना .... एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से प्रस्तावित अन्य लाभ हैं ....
3. 3. राज्य सरकार के अनुसार, परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत .... करोड़ रुपये (.............मूल्य स्तर) है, तथा .... तक किया गया व्यय .... करोड़ रुपये है। परियोजना से अब तक प्राप्त लाभ .... हैं।
4. परियोजना को पूरा करने के लिए शेष लागत इस प्रकार रुपये .... है। शेष लाभ के साथ करोड़ रु निम्नानुसार वसूल किए जाएंगे । इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले घटकों के वास्तविक और वित्तीय ब्यौरे परियोजना से प्राप्त किए जाने वाले लाभों के वार्षिक लक्ष्यों के साथ परियोजना के पूरा होने तक वार्षिक वास्तविक और वित्तीय कार्यक्रम के साथ संलग्न किए गए हैं जो इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा होंगे।
5. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना को वर्षों में पूरा करने के लिए परियोजना के सिंचाई और पेयजल घटकों की 90% शेष लागत को कवर करने के लिए .... करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देने के लिए सहमत है:
   (i) यह परियोजना .... तक .... सरकार द्वारा पूरी कर ली जाएगी। इसके पूरा होने की सूचना तुरंत केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय और योजना आयोग को दी जाएगी ताकि इस परियोजना को चालू परियोजनाओं की सूची से हटाया जा सके। (ii) केन्द्रीय सहायता वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रदान की जाएगी। एक वर्ष के लिए सहायता क्रमशः 90% और 10% की दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।

   (iii) प्रथम वर्ष के दौरान दूसरी किस्त राज्य सरकार के सचिव (जल संसाधन/सिंचाई) द्वारा हस्ताक्षरित राज्य अंश सहित पहली किस्त में जारी 80% अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

   (iv) दूसरे और बाद के वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त समझौता ज्ञापन में यथा निर्धारित वास्तविक उपलब्धियों और परियोजना से होने वाले लाभों को शामिल करते हुए प्रमाण-पत्र के साथ राज्य के सचिव (जल संसाधन/सिंचाई) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित राज्य अंश के साथ पिछले वर्ष तक जारी 80% अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

(v) यदि राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा में वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार परियोजना को जारी अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने पर विचार कर सकती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा लागू ब्याज दर के साथ चुकाया जाना आवश्यक होगा।

(vi) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना की गहन निगरानी की जाएगी और केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी की जाएगी।

(vii) राज्य सरकार कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परियोजना क्षेत्र में स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण संगठन और पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी। नमूना और परीक्षण प्रासंगिक बीआईएस कोड के अनुसार किया जाएगा।

(viii) राज्य सरकार परियोजना के लिए अनुदान जारी होने के 18 माह के भीतर एआईबीपी के अंतर्गत जारी केन्द्रीय अनुदान के अनुरूप राष्ट्रीय परियोजना पर किए गए व्यय के लिए व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण उपलब्ध कराएगी।

(ix) राज्य सरकार परियोजना के लिए जारी केन्द्रीय अनुदान को भारत सरकार से इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर परियोजना प्राधिकारियों को हस्तांतरित करेगी

राष्ट्रीय परियोजना के दिशा-निर्देशों की किन्हीं शर्तों और इस समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के मामले में केन्द्र सरकार परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की सूची से हटाने पर विचार कर सकती है। ऐसे मामलों में, परियोजना को जारी संपूर्ण अनुदान को ऋण के रूप में माना जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लागू ब्याज सहित वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा।

दिनांक .... 2024 को	नई दिल्ली में हस्ताक्षरित।
.... सरकार की ओर से	भारत सरकार की ओर से
सचिव (जल संसाधन/सिंचाई)	आयुक्त (पीआर)
.... सरकार	जल संसाधन मंत्रालय

अनुबंध-VI

संख्या.27/1/2005-पीआर भाग-III

भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय (परियोजना अनुभाग)

631-श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 110001 दिनांक 9 अप्रैल, 2008

विषय - राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी , 2008 को आयोजित अपनी बैठक में जल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्कीम
संसाधन जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए चयन मानदंड, कार्यान्वयन रणनीति, वित्त पोषण व्यवस्था आदि शामिल हैं। प्रस्ताव में राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन भी शामिल है। तदनुसार, राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नीचे दिए गए अनुसार एक उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है:

1	सचिव (जल संसाधन)	अध्यक्ष
2	सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय	सदस्य
3	सचिव, पर्यावरण और पर्यावरण मंत्रालय वन	सदस्य
4	प्रधान सलाहकार (जल संसाधन), योजना आयोग	सदस्य
5	सचिव, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
6	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
7	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य

मुख्य अभियंता, परियोजना तैयारी संगठन, सीडब्ल्यूसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

जब कभी आवश्यक समझा जाएगा, समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी लेकिन राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कम से कम तीन महीने में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं -

1. राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों की सिफारिश करना ।
2. राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना ।
3. नई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए प्रस्ताव (यदि कोई हो) की जांच करना और सरकार को उचित सिफारिश करना।

राष्ट्रीय परियोजनाओं और राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना पर कैबिनेट नोट के अंश की एक प्रति, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में अनुमोदित 14 परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ संलग्न है।

संलग्नक:- यथोपरि

(इंद्र राज)
आयुक्त (जनसंपर्क)

प्रति:

1. सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय , नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. प्रधान सलाहकार (जल संसाधन), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, विद्युत मंत्रालय , श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय , नई दिल्ली
6. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आरके पुरम, नई दिल्ली।

सूचनार्थ प्रति :
सचिव (जल संसाधन), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के निजी सचिव

अनुबंध-V

त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु प्रोफार्मा (समाप्त अवधि के लिए)

क) परियोजना का नाम

ख) राज्य का नाम

ग) आज तक जारी कुल अनुदान

घ) संबंधित राज्य का हिस्सा

ङ) वास्तव में किया गया संबंधित व्यय।

च) एमओयू के अनुसार प्रस्तावित प्रत्यक्ष लाभ

छ) संबंधित उपलब्धि

ज) एमओयू के अनुसार प्रस्तावित अप्रत्यक्ष लाभ

झ) संबंधित उपलब्धि

क्रमांक	कार्य का मद	समझौता ज्ञापन के अनुसार कुल मात्रा	....तक की अवधि प्रस्तावित मात्रा	वास्तव में निष्पादित मात्रा	समझौता ज्ञापन के अनुसार अनुमानित लागत (4) के अनुरूप	निष्पादित मात्रा के लिए किया गया वास्तविक व्यय	भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों में कमी के कारण।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)